फर्द अहकाम

## अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कमलेश बनाम कल्याणी वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 251क आर0टी0ए0 मु0नं0– 108/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06/02/26 | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा 531/72 वाके रामा गण्डरावा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 62–63 में होकर रास्ता चाहा गया है। प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/1927 दिनांक 09.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है जिसमें अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 531/72 की पहुंच तक खसरा नंबर 62–63 में होकर रास्ता चाहा गया है वह युक्तिसंगत नहीं है निकटतम नहीं होने से। वादीगण की आराजी तक पहुंच हेतु खसरा नंबर 74 रकबा .0.01 है0 गै0मु0 रास्ता/राजकीय रास्ता में होकर निकटतम पडता है। इसके अलावा वादिगण की आराजी खसरा नंबर 531/72 तक पहुंच हेतु खसरा नंबर 75, 64, 66 में होकर सडक व रास्ता चालू है इसलिए पृथक से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पूर्व से ही पहुंच मार्ग उपलब्ध है इसलिए पृथक से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।<br>अतः प्रार्थना पत्र 251क आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है।<br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला दौसा | |